

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-57 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री बृजमोहन सिंह चौहान, वार्ड नंबर 05, खाबली सेरा, पुरोला, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 02 / 07 / 2024

निर्णय का दिनांक- 15 / 07 / 2024

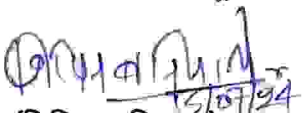
:: निर्णय ::

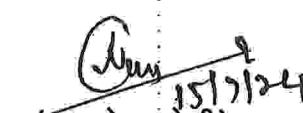
परिवादी श्री बृजमोहन सिंह चौहान, वार्ड नंबर 05, खाबली सेरा, पुरोला, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को पुरोला में दिनांक-02/07/2024 को आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-बीडी13205332286, भार-01 किलोवाट, श्रेणी-एसटीएन-10/अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। प्रार्थनापत्र में परिवादी का कहना है कि उनके संयोजन पर खपत की तुलना में अत्याधिक धनराशि के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। परिवादी ने मंच से बिल संशोधन का अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर शिविर के दौरान वाद दर्ज किया गया। शिविर में उपस्थित विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग ने मंच के सम्मुख पक्ष प्रस्तुत किया और जानकारी दी कि उपरोक्त संयोजन में मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि परिवादी को विपक्षी द्वारा रीडिंग के आधार पर मीटर्ड यूनिट के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। बिल में संशोधन संभव नहीं है। अतः परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य


(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-40/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री दरमियान सिंह, ग्राम-नैलाड़ी, पुरोला, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 02/07/2024

निर्णय का दिनांक- 15/07/2024

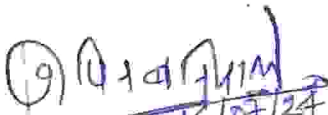
:: निर्णय ::

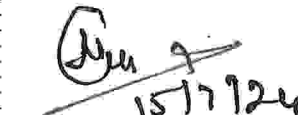
परिवादी श्री दरमियान सिंह, ग्राम-नैलाड़ी, पुरोला, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को पुरोला में दिनांक-02/07/2024 को आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-बीडी13201336056, भार-01 किलोवाट, श्रेणी-एसटीएन-10/अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। प्रार्थनापत्र में परिवादी का कहना है कि उनके संयोजन पर खपत की तुलना में अत्यधिक धनराशि के बिल निर्गत किए जा रहे हैं, जिसे ठीक किया जाना आवश्यक है। परिवादी ने मंच से बिल संशोधन का अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर शिविर के दौरान वाद दर्ज किया गया। शिविर में उपस्थित विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग ने मंच के सम्मुख पक्ष प्रस्तुत किया। विपक्षी ने मंच को अवगत कराया कि उपरोक्त संयोजन में मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि परिवादी को विपक्षी द्वारा रीडिंग के आधार पर मीटर्ड यूनिट के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। बिल में संशोधन की गुंजाइश नहीं है। अतः परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य


(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarkashi

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-27 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री गौरव सेमवाल पुत्र स्वर्गीय श्री मधुसूदन, ग्राम भकड़ा, हिटाणु, डुंडा,
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

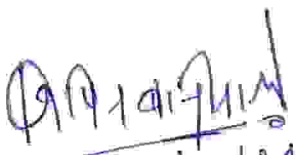
परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 12/06/2024

निर्णय का दिनांक- 15/07/2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री गौरव सेमवाल पुत्र स्वर्गीय श्री मधुसूदन, ग्राम भकड़ा, हिटाणु, डुंडा, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-12/06/2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-यूके24108414133, से संबंधित है। प्रार्थना पत्र में परिवादी का कहना है कि उपरोक्त संयोजन पर रुपये 22,723 का बिल उन्होंने जमा कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इसके विभाग अभी तक उन पर यह धनराशि बकाया दिखा रहा है। परिवादी ने मंच से उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है।

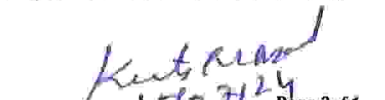
उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज किया गया। मंच द्वारा पत्रांक-29/2024/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-12/06/2024 के मार्फत विपक्षी को नोटिस दिया गया और अगली सुनवाई में आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। विपक्षी द्वारा पत्रांक-222/वि0वि0उ0ख0चि0/दिनांक-22/06/2024 के मार्फत आख्या मंच के सम्मुख पेश की गई। उपखंड अधिकारी चिन्यालीसौड़ प्रमोद भंडारी ने मंच को अवगत कराया कि परिवादी का बिल पूर्व में संशोधित कर दिया गया था, जो कि रुपये 22,723.00 (बाइस हजार सात सौ तेईस) का बना था। इसे परिवादी ने जमा कर दिया था, लेकिन तकनीकी वजह से कम्प्यूटर सिस्टम में यह विवरण पोस्ट नहीं हो पाया। इस वजह से बकाया दर्शित हो रहा है। इसे अब ठीक कर दिया गया


15/07/24
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


15/07/24
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

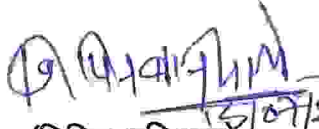

15/07/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी।

है। उपखंड अधिकारी के अनुसार, उपरोक्त संयोजन का स्थायी विच्छेदन होना है और परिवादी को अब सिर्फ पीडी का शुल्क जमा करना है। विभागीय कार्रवाई पर परिवादी ने सहमति प्रकट की।

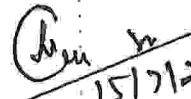
उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग ने भूल सुधार कर ली है और परिवादी द्वारा जमा की गई बिल की धनराशि को कम्प्यूटर सिस्टम में पोस्ट कर दिया है। परिवादी को अब सिर्फ पीडी के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना है। इस तरह शिकायत निस्तारित कर ली गई है।

:: आदेश ::

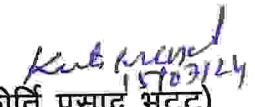
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-21/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री जयगोविन्द नौटियाल पुत्र स्व0 श्री उमादत्त नौटियाल, ग्राम तिलोथ
जोशियाडा उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 17/05/2024

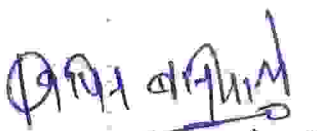
निर्णय का दिनांक- 29/07/2024

:: निर्णय ::

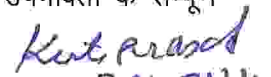
परिवादी श्री जयगोविन्द नौटियाल पुत्र स्व0 श्री उमादत्त नौटियाल, ग्राम तिलोथ जोशियाडा उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-17/05/2024 को प्राप्त हुआ, जो कि विद्युत संयोजन संख्या यू0के0 11313011888, भार 01 कि0वा0, श्रेणी अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। परिवादी का कथन है कि उपरोक्त विद्युत संयोजन पर खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों की जांच कर संशोधित बिल उपलब्ध कराया जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज किया गया। मंच द्वारा पत्रांक-22/2024/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-17/05/2024 के मार्फत विपक्षी को नोटिस दिया गया और दिनांक 27.05.2024 की सुनवाई में आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया।

दिनांक 27.05.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 724/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 27.05.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी, जिसमें अवगत कराया गया कि उपरोक्त संयोजन की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के सम्पूर्ण


29/07/24

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakshi


29/07/24
Page-2 of 1
21/2024

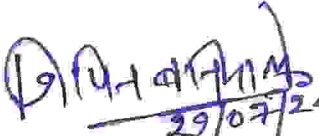
बिल माह 05/2024, 03/2024 और 01/2024 की खपत (यूनिट) क्रमशः 2015, 302 और 940 है। उपभोक्ता को सभी बिल विद्युत खपत के आधार पर ही निर्गत किए जा रहे हैं। बिल संशोधन योग्य नहीं है। सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने मंच से अनुरोध किया कि उपरोक्त संयोजन पर चैक मीटर लगाया जाए, जिस पर मंच ने विपक्षी/विभाग को कार्रवाई के लिए आदेशित किया। विपक्षी को चैक मीटर रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने के लिए भी आदेशित किया गया।

दिनांक-18/06/2024 और दिनांक 24/06/2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी की ओर से चैक मीटर रिपोर्ट मंच के सम्मुख पेश नहीं की गई। दिनांक 15/07/2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग की आख्या (पत्रांक 741/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 12.07.2024) को मंच के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। आख्या में विभाग ने अवगत कराया है कि उपरोक्त संयोजन पर दिनांक 03.06.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया और दिनांक 13.06.2024 को उतारा गया। चैक मीटर और मेन मीटर की खपत में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। अतः विद्युत मीटर/विद्युत बीजक सही प्रतीत हो रहा है।

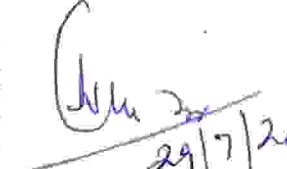
उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि विभाग द्वारा परिवादी को निर्गत किए गए बिल रीडिंग के हैं और मीटर्ड यूनिट पर आधारित है। चैक मीटर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि हो गई है। अतः परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

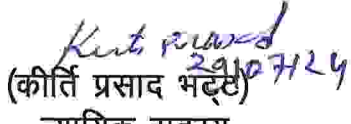
परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल क़तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-53/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादिनी-

श्रीमती कौशल्या देवी, पत्नी श्री खेमराज, सुनाली, पुरोला, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी-

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 02/07/2024

निर्णय का दिनांक- 15/07/2024

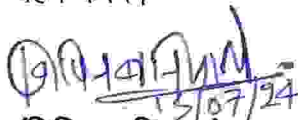
:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती कौशल्या देवी, पत्नी श्री खेमराज, सुनाली, पुरोला, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को पुरोला में दिनांक-02/07/2024 को आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-बीडी13208336838, भार-01 किलोवाट, श्रेणी-एसटीएन-11/बीपीएल से संबंधित है। प्रार्थनापत्र में परिवादिनी ने गलत बिलिंग की शिकायत करते हुए मंच से बिल संशोधन का अनुरोध किया है।

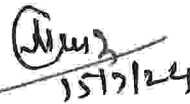
उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर शिविर के दौरान वाद दर्ज किया गया। शिविर में उपस्थित विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियंता धर्मवीर सिंह को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग ने मंच के सम्मुख पक्ष प्रस्तुत किया और जानकारी दी कि उपरोक्त संयोजन में मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। विपक्षी द्वारा अपने पक्ष में परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री भी मंच के सम्मुख पेश की गई। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि परिवादिनी को विपक्षी द्वारा रीडिंग के आधार पर मीटर्ड यूनिट के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। अतः परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

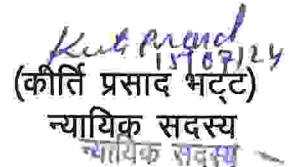
परिवादिनी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)

उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य


15/07/24

(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य


15/07/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

Page-1 of 1
53/2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-43/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री खजान सिंह कंडियाल, ग्राम-कंडियाल गांव, गुन्दियार गांव, पुरोला, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

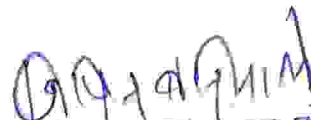
परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 02/07/2024

निर्णय का दिनांक- 15/07/2024

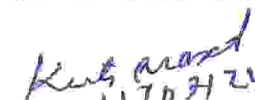
:: निर्णय ::

परिवादी श्री खजान सिंह कंडियाल, ग्राम-कंडियाल गांव, गुन्दियार गांव, पुरोला, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को पुरोला में दिनांक-02/07/2024 को आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-बीडी0के000016808, भार-08 किलोवाट, श्रेणी-एसटीएन-70/न्यू आरटीएस-5 जनरल एलटी इंडस्ट्री से संबंधित है और प्रवेश कुमार के नाम से संचालित है। प्रार्थनापत्र में परिवादी का कहना है कि उनके संयोजन को विभाग द्वारा मनमर्जी तरीके से 10 किलोवाट का कर दिया गया है, जबकि इस अनुरूप उसकी खपत नहीं है। परिवादी का अनुरोध है कि उसका संयोजन 06 किलोवाट भार क्षमता का कर दिया जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर शिविर के दौरान वाद दर्ज किया गया। शिविर में उपस्थित विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग ने मंच के सम्मुख पक्ष प्रस्तुत किया। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि संयोजन का भार कम कराने के लिए परिवादी को नियमानुसार आवेदन करना होगा। तत्पश्चात परिवादी की खपत के पुराने पैटर्न की समीक्षा करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की जिम्मेदारी विपक्षी विभाग की होगी।

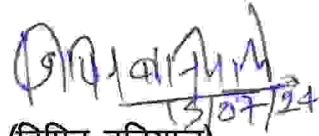

उपभोक्ता सदस्य
15/07/24


तकनीकी सदस्य


न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी
Page-2 of 2
43/2024

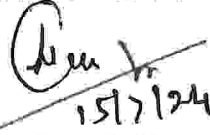
:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी का आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात उपरोक्त संयोजन पर नियमानुसार भार घटाने की कार्रवाई करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


13/07/24

(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


15/7/24

(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


15/07/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-28/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादिनी- श्रीमती मीना नौटियाल पत्नी श्री जे0पी0 नौटियाल, जोशियाडा उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 15/06/2024

निर्णय का दिनांक- 29/07/2024

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती मीना नौटियाल पत्नी श्री जे0पी0 नौटियाल, जोशियाडा उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-15/06/2024 को प्राप्त हुआ, जो कि विद्युत संयोजन संख्या यू0के0 21325025471, भार 02 कि0वा0, श्रेणी अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। परिवादिनी का कथन है कि उक्त संयोजन पर वर्तमान में उन्हें जो विद्युत बिल दिया गया है, वह पिछले बिल की यूनिट को जोड़कर दिया गया है। मंच से परिवादिनी का अनुरोध है कि बिल संशोधन कर दिया जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज किया गया। मंच द्वारा पत्रांक-30/2024/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-15/06/2024 के मार्फत विपक्षी को नोटिस दिया गया और दिनांक 24.06.2024 की सुनवाई में आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया।

दिनांक 24.06.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 735/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 24.06.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी, जिसमें अवगत कराया गया कि उपरोक्त संयोजन की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के सम्पूर्ण बिल माह 02/2024, 04/2024 और 06/2024 की खपत (यूनिट) क्रमशः 508, 182 और 748 है।

परिवादिनी
29/07/24

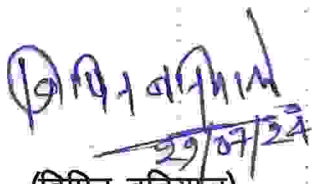
उपभोक्ता को सभी बिल विद्युत खपत के आधार पर ही निर्गत किए जा रहे हैं। बिल संशोधन योग्य नहीं है। परिवादिनी ने फोन के जरिये पक्ष रखते हुए संयोजन पर चैक मीटर लगाए जाने का अनुरोध किया। मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया कि वह परिवादिनी के संयोजन पर चैक मीटर स्थापित करे और रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करे।

दिनांक 15/07/2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 742/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 12.07.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी और अवगत कराया गया कि उपरोक्त संयोजन पर दिनांक 06.07.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया और दिनांक 14.07.2024 को उतारा गया। चैक मीटर और मेन मीटर की खपत में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। अतः विद्युत मीटर/विद्युत बीजक सही प्रतीत हो रहा है।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि विभाग द्वारा परिवादिनी को निर्गत किए गए बिल रीडिंग के हैं और मीटर्ड यूनिट पर आधारित है। चैक मीटर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि हो गई है। अतः परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

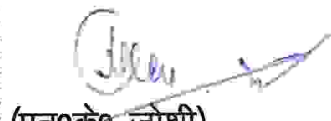
:: आदेश ::

परिवादिनी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।



(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी



(एन0क्रे0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी



(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-55/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादिनी- श्रीमती निर्मला रावत, वार्ड नंबर 01, नगर पंचायत पुरोला, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 02/07/2024

निर्णय का दिनांक- 15/07/2024

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती निर्मला रावत, वार्ड नंबर 01, नगर पंचायत पुरोला, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को पुरोला में दिनांक-02/07/2024 को आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-बीडी23203306109, भार-01 किलोवाट, श्रेणी-एसटीएन-10/अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। प्रार्थनापत्र में परिवादिनी ने कहा है कि उनके संयोजन का बिल पूर्व की तुलना में अब ज्यादा आ रहा है। उन्होंने मंच से अनुरोध किया है कि शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।

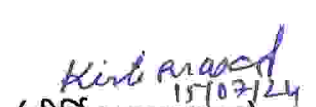
उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर शिविर के दौरान वाद दर्ज किया गया। शिविर में उपस्थित विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग ने मंच के सम्मुख पक्ष प्रस्तुत किया और अवगत कराया कि वर्तमान में उपरोक्त संयोजन पर मीटर्ड यूनिट के आधार पर बिलिंग की जा रही है। विपक्षी द्वारा परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री भी मंच के सम्मुख पेश की गई। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि परिवादिनी को विपक्षी द्वारा मीटर्ड यूनिट के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। गत वर्ष परिवादिनी को पांच बिल एनआर के निर्गत किए गए थे, जिनका समायोजन बाद में कर दिया गया था। अतः परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

परिवादिनी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य


(एन0 के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-52/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री प्रकाश चन्द, पुत्र श्री गुंदर चन्द, ग्राम धामपुर, पुरोला, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 02/07/2024

निर्णय का दिनांक- 15/07/2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री प्रकाश चन्द, पुत्र श्री गुंदर चन्द, ग्राम धामपुर, पुरोला, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को पुरोला में दिनांक-02/07/2024 को आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-बीडी23207332181, भार-01 किलोवाट, श्रेणी-एसटीएन-11/बीपीएल से संबंधित है और ममता देवी के नाम से संचालित है। प्रार्थनापत्र में परिवादी का कहना है कि उनका यह संयोजन जिस स्थल पर है, वहां पर वह निवास नहीं करता। इसके बावजूद, लगातार अत्याधिक धनराशि के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। बिल संशोधन का अनुरोध मंच से किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर शिविर के दौरान वाद दर्ज किया गया। शिविर में उपस्थित विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग ने मंच के सम्मुख पक्ष प्रस्तुत किया और जानकारी दी कि उपरोक्त संयोजन में मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि परिवादी को विपक्षी द्वारा रीडिंग के आधार पर मीटर्ड यूनिट के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। बीपीएल संयोजन के लिए निर्धारित यूनिट की सीमा से अधिक की खपत इस संयोजन की हिस्ट्री में दर्शित हो रही है। अतः स्वाभाविक ही परिवादी को बीपीएल दरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन स्थितियों में बिल संशोधन संभव नहीं है। अतः परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakshi
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-63/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री प्रवेश बुटोला पुत्र श्री वीर सिंह, ग्राम लौदाड़ा धौन्तरी उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 03/06/2024

निर्णय का दिनांक- 29/07/2024

:: निर्णय ::

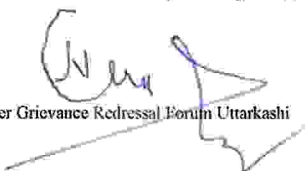
परिवादी श्री प्रवेश बुटोला पुत्र श्री वीर सिंह, ग्राम लौदाड़ा पो0 धौन्तरी उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-08/07/2024 को प्राप्त हुआ, जो कि विद्युत संयोजन संख्या यू0के0 11316261940, भार 01 कि0वा0, श्रेणी बी0पी0एल से संबंधित है। परिवादी का कथन है कि उपरोक्त विद्युत संयोजन पर खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के बिल निर्गत किए जा रहे हैं, और वर्तमान में संयोजन पर काफी अधिक धनराशि का बिल बन गया है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उपरोक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच की जाए और विद्युत बिल संशोधित किया जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज किया गया। मंच द्वारा पत्रांक-39/2024/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-08/07/2024 के मार्फत विपक्षी को नोटिस दिया गया और दिनांक 15.07.2024 की सुनवाई में आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया।

दिनांक 15.07.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 740/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 12.07.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी, जिसमें अवगत कराया गया कि उपरोक्त संयोजन की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के माह 01/2024, 03/2024 एवं 05/2024 की खपत क्रमशः 70, 70 एवं 40 यूनिट है।

विपिन बनियाल
29/07/24

Electricity-Consumer Grievance Redressal Forum Uttarkashi



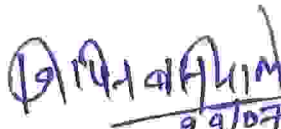
K. Prasad
29/07/24
Page-2 of 1
63/20244

उपभोक्ता का विद्युत बिल रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये जा रहे हैं, वर्तमान में उपभोक्ता के बिल पर अवशेष धनराशि रु0 10168.00 (दस हजार एक सौ अड़सठ) है, जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं किया गया है।

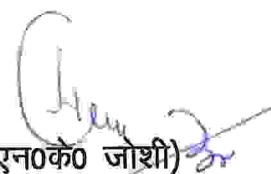
दिनांक 29.07.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग की ओर से एस0डी0ओ0 आयुष रावत उपस्थित रहे, और दौहराया कि परिवादी को एम0यू0 के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी को निर्गत समस्त बिल मीटर यूनिट के आधार पर दिए गए हैं। परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

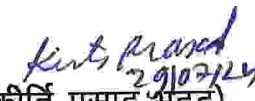
परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-41/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री पृथ्वीपाल पुत्र श्री गंगा सिंह, वसंत नगर, कंडियाल गांव, पुरोला, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 02/07/2024

निर्णय का दिनांक- 15/07/2024

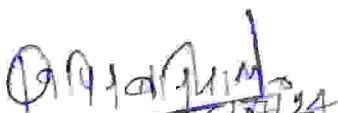
:: निर्णय ::

परिवादी श्री पृथ्वीपाल पुत्र श्री गंगा सिंह, वसंत नगर, कंडियाल गांव, पुरोला, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को पुरोला में दिनांक-02/07/2024 को आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-बीडी0के000023387, भार-08 किलोवाट, श्रेणी-एसटीएन-70/न्यू आरटीएस-5 जनरल एलटी इंडस्ट्री से संबंधित है। प्रार्थनापत्र में परिवादी का कहना है कि उनकी आटा चक्की है और संबंधित संयोजन पर खपत की तुलना में अत्याधिक बिल आ रहा है। बिल संशोधन का अनुरोध मंच से किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर शिविर के दौरान वाद दर्ज किया गया। शिविर में उपस्थित विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग ने मंच के सम्मुख पक्ष प्रस्तुत किया और जानकारी दी कि उपरोक्त संयोजन में मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि परिवादी को विपक्षी द्वारा रीडिंग के आधार पर मीटर्ड यूनिट के बिल निर्गत किए जा रहे हैं, जिसमें संशोधन करना संभव नहीं है। अतः परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य


(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी
Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarakashi

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी
Page-1011
41/2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-26/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 श्री विश्वेश्वर प्रसाद, ग्राम जसपुर बाडागड्डी
उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 03/06/2024

निर्णय का दिनांक- 29/07/2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 श्री विश्वेश्वर प्रसाद, ग्राम जसपुर बाडागड्डी जोशियाडा उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-03/06/2024 को प्राप्त हुआ, जो कि विद्युत संयोजन संख्या यू0के0 11313012120, भार 01 कि0वा0, श्रेणी अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। परिवादी का कथन है कि उपरोक्त विद्युत संयोजन पर उन्हें दिनांक 21.01.2024 से 13.03.2024 तक का विद्युत बिल रु0 6252.00 (छः हजार दो सौ बावन) और दिनांक 13.03.2024 से 23.05.2024 तक का विद्युत बिल रु0 6053.00 (छः हजार तिरेपन) का दिया गया था। इससे पूर्व के बिल का भुगतान दिनांक 04 फरवरी 2024 को रु0 3030.00 (तीन हजार तीस) किया जा चुका था। परिवादी का कहना है कि उनके द्वारा विद्युत का कम से कम उपभोग किया जाता है लेकिन इसके बावजूद विद्युत बिल ज्यादा आ रहा है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उपरोक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच की जाए और विद्युत बिल संशोधित किया जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज किया गया। मंच द्वारा पत्रांक-28/2024/वि0उ0शि0नि0म0उका फोरम/दिनांक-03/06/2024 के मार्फत विपक्षी को नोटिस दिया गया और दिनांक 10.06.2024 की सुनवाई में आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया।

विपिन बनियाल
29/07/24



Kirti Prasad
29/07/24

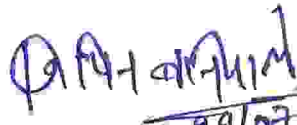
Page-2 of 1
26/2024

दिनांक 10.06.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा आख्या पेश नहीं की गई। मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि वह परिवादी को निर्गत समस्त आई0डी0एफ बिलों को (दो बिलिंग चक्रों को छोड़कर) निरस्त करें, और इस अवधि के सरचार्ज को घटाते हुए बिल संशोधित कर अगली सुनवाई में पेश करें। दिनांक 24.06.2024 और दिनांक 15.07.2024 की सुनवाई के दौरान संशोधित बिल अप्राप्त रहा।

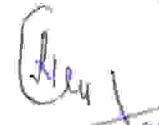
दिनांक 29.07.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा संशोधित बिल मंच के सम्मुख पेश किया गया। परिवादी का बिल संशोधित कर रु0 -520.00 (ऋणात्मक पांच सौ बीस) कर दिया गया है, उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि विभाग द्वारा परिवादी के बिल को नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 -520.00 (ऋणात्मक पांच सौ बीस) बनाई गयी है। इस तरह शिकायत निस्तारित कर ली गई है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
अपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-30 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री रूपेंद्र सिंह, पुत्र श्री अतोल सिंह, ग्राम मैनोल, पोस्ट जुणगा, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

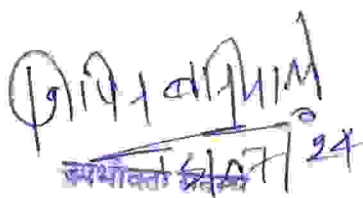
परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 18/06/2024

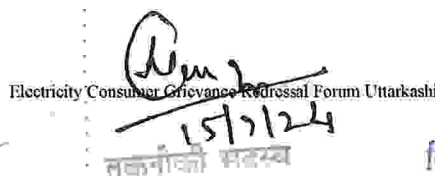
निर्णय का दिनांक- 15/07/2024

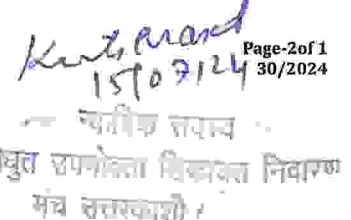
:: निर्णय ::

परिवादी श्री रूपेंद्र सिंह, पुत्र श्री अतोल सिंह, ग्राम मैनोल, पोस्ट जुणगा, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-18/06/2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-यूके24120414657 से संबंधित है। प्रार्थना पत्र में परिवादी का कहना है कि वह नियमित तौर पर बिजली का बिल जमा करता है। पिछले कुछ समय से उसे खपत की तुलना में अधिक धनराशि का बिल दिया जा रहा है। परिवादी ने मंच से उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज किया गया। मंच द्वारा पत्रांक-32/2024/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-18/06/2024 के मार्फत विपक्षी को नोटिस दिया गया और अगली सुनवाई में आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। विपक्षी द्वारा पत्रांक-223/वि0वि0उ0ख0चि0/दिनांक-22/06/2024 के मार्फत आख्या मंच के सम्मुख पेश की गई। इसमें अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता के संयोजन पर दिनांक 09/02/2024 को चैक मीटर लगाया गया था। दिनांक-08/05/2024 को चैक और मेन मीटर में अंतर पाए जाने पर मीटर बदल दिया गया था और दोनों मीटरों में आए अंतर को देखते हुए बिल संशोधित कर दिया गया था। बिल रुपये 52,753.00 (बावन्न हजार सात सौ तेईस) से घटाकर रुपये 29,763.00 (उन्तीस


उपभोक्ता सदस्य


तकनीकी सदस्य


न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

हजार सात सौ तिरेसठ) कर दिया गया था। वर्तमान बिल मीटर चैक पर असेसमेंट यूनिट की गणना सिस्टम द्वारा पुराने मीटर खपत पर की गई है। अतः असेसमेंट यूनिट की गणना चैक मीटर के अनुरूप करके बिल को पुनः संशोधित कर दिया गया है। परिवारी का संशोधित बिल की धनराशि 2682.48 (दो हजार छह सौ बयासी रुपये और अड़तालीस पैसे) है।

सुनवाई के दौरान उपस्थित परिवारी ने विपक्षी विभाग से जानना चाहा कि उसके संयोजन पर एडिशनल सिक्कोरिटी डिपोजिट (एएसडी) और संशोधित बिल की कुल धनराशि कितनी है। जवाब में उपखंड अधिकारी चिन्मालीसौंड ने स्पष्ट किया कि परिवारी पर वर्तमान में धनराशि 2682.48 (दो हजार छह सौ बयासी रुपये और अड़तालीस पैसे) की कुल देयता है। इस धनराशि में बिजली का बिल और एएसडी दोनों शामिल हैं। परिवारी ने इस पर सहमति प्रकट की।

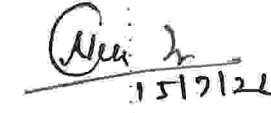
उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग ने परिवारी पर बकाया बिल की धनराशि और एडिशनल सिक्कोरिटी डिपोजिट (एएसडी) को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। परिवारी पर वर्तमान में धनराशि 2682.48 (दो हजार छह सौ बयासी रुपये और अड़तालीस पैसे) की कुल देयता है। इसके अतिरिक्त परिवारी पर विभाग की कोई देयता नहीं है। इस तरह शिकायत निस्तारित कर ली गई है।

:: आदेश ::

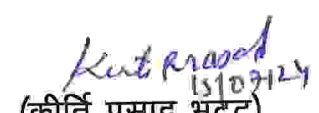
परिवारी का परिवार स्वीकार किया जाता है। परिवार उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवारी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
नियारण मंच उत्तरकाशी


(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
नियारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
नियारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-49/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री संजय कुमार, ग्राम व पोस्ट-बगासू, बड़कोट, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक- 02/07/2024

निर्णय का दिनांक- 15/07/2024

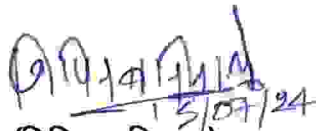
:: निर्णय ::

परिवादी श्री संजय कुमार, ग्राम व पोस्ट-बगासू, बड़कोट, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को पुरोला में दिनांक-02/07/2024 को आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या-बीडी23106305103, भार-01 किलोवाट, श्रेणी-एसटीएन-10/अदर डोमेस्टिक से संबंधित है और प्रकाश लाल के नाम से संचालित है। प्रार्थनापत्र में परिवादी ने गलत बिलिंग की शिकायत करते हुए मंच से बिल संशोधन का अनुरोध किया है।

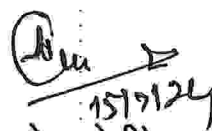
उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर शिविर के दौरान वाद दर्ज किया गया। शिविर में उपस्थित विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग ने मंच के सम्मुख पक्ष प्रस्तुत किया और जानकारी दी कि उपरोक्त संयोजन में मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि परिवादी को विपक्षी द्वारा रीडिंग के आधार पर मीटर्ड यूनिट के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। पूर्व में दो बिल आईडीएफ के निर्गत किए गए थे, जिसका समायोजन दे दिया गया था और मीटर भी बदल दिया गया था। अतः परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

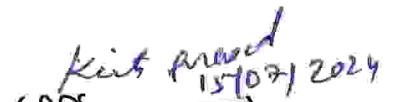
परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)

उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य


(एन0के0 जोशी)

तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)

न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी